न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

बअनवानी जसवन्तराम बनाम शारदा आदि

प्रकरण का प्रकार 223 आरटीएक्ट क्रमांक 2019/00006 (06/2019)

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
08.11.2019	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित आये। अपीलाण्ट ने यह अपील सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के प्रकरण संख्या 195/2008 बअनवानी शारदा बनाम चन्दुराम आदि में आदेश दिनांक 05.06.2017 जिसमें दिनांक 05.02.2009 को जारी स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया गया है। अपीलाण्ट चक 35 एसएसडब्ल्यू के खाता संख्या 51/53 के कुल रकबा 3.542 है. की हद तक आदेश को अपास्त करवाना चाहता है। अपीलाण्ट ने दिनांक 28.08.2019 को एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.06.2017 के कन्फर्म आदेश दिनांक 05.07.2009 को पारित स्थगन आदेश में संशोधन करते हुए अपीलाण्ट के नाम की कृषि भूमि वाके चक 35 एस.एस.डब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 51/53 के प. नं. 88/301 (3) के किला नं. 17 से 24, प. नं. 88/302 (4) के किला नं. 2 से 4, 7 से 9 कुल तादादी 3.542 की हद तक बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने की हद तक संशोधन करवाना चाहता है। इस प्रार्थना–पत्र पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 के अधिवक्ता ने नोट ऑब्जेक्शन किया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का दिनांक 05.06.2017 जिसमें दिनांक 05.02.2009 को कन्फर्म किया गया है में आंशिक संशोधन करते हुए चक 35 एस.एस.डब्ल्यू के वर्तमान खाता संख्या 51/53 के प. नं. 88/301 (3) के किला नं. 17 से 24, प. नं. 88/302 (4) के किला नं. 2 से 4, 7 से 9 कुल तादादी 3.542 की हद तक बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त करने की हद निरस्त किया जाता है अर्थात अपीलाण्ट को उक्त भूमि पर नियमानुसार ऋण सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का शेष अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.12.04 12:38:56 IST
Reason: SelfAttested